



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222342
CG-DL-E-09102020-222342

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3111]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942

No. 3111]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3498(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 83 (अ) तारीख 02 जनवरी 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मंगला कूड आइल पाइपलाइन परियोजनान्तर्गत बाडेमेर से पचपदरा (राजस्थान) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 26 फरवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : बायतु

जिला : बाड़मेर

राज्य : राजस्थान

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	जोगासर कुआ	490 / 359	00	97	19
		488 / 359	00	02	92
		612 / 359	00	06	60
		489 / 359	00	18	39
		503 / 356	00	01	44
		337	00	26	06
		338	00	05	02
		421 / 336	00	35	19
		422 / 336	00	00	97
		332	00	03	33
		420 / 114	00	18	86
		115	00	25	37
		679 / 115	00	07	88
		574 / 116	00	21	91
		121	00	05	01
		570 / 138	00	11	17
		576 / 329	00	39	18
		438 / 150	00	09	36
		437 / 150	00	44	25
		416 / 327	00	40	76
		415 / 327	00	46	64
		483 / 324	00	19	79
		500 / 323	00	01	15
2	बांझातालर	543 / 365	00	34	95
		499 / 366	00	24	60
		500 / 366	00	92	66
		478 / 374	00	04	65
		507 / 374	00	15	73
		575 / 291	00	01	85
		521 / 291	00	02	11
		584 / 291	00	68	98
		501 / 290	00	00	40
		471 / 289	00	04	36
		472 / 289	00	41	92
		597 / 289	00	41	92
		554 / 288	00	38	96
		566 / 287	00	20	70

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		582 / 287	00	27	14
		564 / 286	00	48	89
		616 / 284	00	13	66
		618 / 284	00	00	54
		615 / 284	00	31	72
3	छीतर का पार	281	00	51	12
		486	00	02	95
		482	00	39	67
		489	00	63	11
		494	00	01	98
4	सागरोमोणी सारणों की ढाणी	501	00	44	18
		566 / 503	00	31	67
		505	00	42	99
		681 / 505	00	40	17
		679 / 498	00	22	36
		684 / 498	00	11	90
		543 (सरकारी)	00	01	40
		609 / 553	00	20	41
		611 / 553	00	03	11
		610 / 553	00	08	50
		663 / 553	00	04	73
		614 / 554	00	00	50
		664 / 553	00	29	03
		560	00	42	43
		559	00	30	18
		685 / 561	00	28	23
5	लापला	434	00	63	14
		435	00	21	60
		786 / 432	00	02	30
		854 / 432	00	17	37
		705 / 436	00	40	82
		704 / 436	00	53	73
		506 (सरकारी)	00	02	49
		741 / 510	00	14	41
		740 / 510	00	27	22
		512	00	22	39
		519	00	35	85
		853 / 519	00	01	47
		746 / 530	00	58	95
		531	00	66	26

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		745 / 518	00	27	07
		541 / 642	00	20	83
		752 / 540	00	33	87
		750 / 538	01	04	75
		751 / 538	00	00	40
		537	00	38	25
		खसरा नं. 537 और 750 / 538 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	99
		402 / 641	00	10	08
		690 / 402	00	10	28
		691 / 402	00	34	53
		402 / 640	00	68	85
		834 / 401	00	12	23
		833 / 401	00	44	23
		398	00	69	40
		394	00	46	63
		396	00	33	74
		686 / 379	00	39	63
6	देरामाणीयो की ढाणी	418	00	12	89
		554 / 419	00	33	94
		555 / 419	00	31	70
		620 / 419	00	22	08
		412 (सरकारी)	00	03	32
7	काकडो व बनोणियो मूढो की ढाणी	108	00	22	26
8	माहिंगाणी मूढो की ढाणी	114	01	60	14
		112	00	00	40
		488 / 120	00	20	89
		486 / 120 (सरकारी)	00	00	40
		121	00	06	90
		125 (सरकारी)	00	05	86
		138	00	27	80
		122	00	00	40
		133	00	59	49
		420 / 131	00	12	00
		खसरा नं. 420 / 131 में (सरकारी मेटल रोड)	00	02	75
		421 / 131	00	28	75
		423 / 131	00	43	08
		419 / 130	00	50	13

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		130	00	14	78
		447 / 158	00	23	19
		446 / 158	00	02	42
		454 / 158	00	14	47
		452 / 158	00	13	18
		451 / 158	00	16	87
		449 / 158	00	29	20
		481 / 389	00	14	75
		480 / 389	00	10	91
		482 / 389	00	38	79
		387	00	43	77
9	मीठियातला	842 / 383	00	37	33
		खसरा नं. 846 / 383 में (सरकारी मेटल रोड)	00	01	81
		846 / 383	01	06	01
		843 / 383	00	63	25
		845 / 383	00	19	53
		331	00	50	40
		खसरा नं. 331 में (सरकारी मेटल रोड)	00	03	11
		821 / 340	01	36	34
		खसरा नं. 821 / 340 में (सरकारी मेटल रोड)	00	06	31
		824 / 347	01	26	66
		खसरा नं. 824 / 347 में (सरकारी मेटल रोड)	00	04	93
		826 / 348	00	67	34
		350	00	06	18
10	सांवलसर	661 / 494	00	27	74
		705 / 494	00	21	95
		663 / 494	00	42	21
		657 / 474	00	03	57
		627 / 422	00	34	68
		629 / 422	00	03	14
		628 / 422	00	31	39
		626 / 422	00	05	32
		643 / 445	00	09	48
		423	00	53	24
		711 / 425	00	20	70
		713 / 425	00	16	44
		712 / 425	00	33	13
		438	00	35	63
		638 / 437	00	23	69
		716 / 433	00	00	60

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		637 / 437	00	47	41
		692 / 379	00	02	09
		602 / 358	00	03	62
		603 / 358	00	10	11
		601 / 358	00	02	99
		609 / 360	00	05	90
		610 / 360	00	03	09
		608 / 360	00	31	04
11	बायतु चिमनजी	873 / 361	00	13	82
		874 / 361	00	14	82
		362	00	43	39
		खसरा नं. 362 और 568 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	28
		568	00	51	95
		560	00	01	60
		559	00	44	96
		573	00	28	90
		990 / 549	00	00	40
		991 / 549	00	13	37
		992 / 549	00	17	23
		987 / 549	00	06	33
		986 / 548	00	17	70
		985 / 548	00	13	13
		1061 / 547	00	35	15
		1060 / 547	00	10	51
		1062 / 547	00	25	75
		545	00	16	27
		544	00	01	45
		खसरा नं. 544 और 839 के बीच में (सरकारी अस्फालटेड रोड)	00	03	30
		1029 / 839	00	43	28
		831	01	03	57
		1208 / 831	00	06	84
		818	00	85	67
		817	00	26	83
		1171 / 816	00	56	32
12	देरामोणी पोटलियो की ढाणी	764	00	34	63
		खसरा नं. 765 में (सरकारी मेटल रोड)	00	01	76
		765	00	19	60
		766	00	54	20
		खसरा नं. 766 और गाम सीम के बीच में (सरकारी मेटल रोड)	00	01	96

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
13	पदमोणी गोदारो की ढाणी	815 / 737	00	07	41
		854 / 804	00	37	74
		खसरा नं. 854 / 804 और 800 के बीच में (सरकारी मेटल रोड)	00	01	38
		800	00	55	03
		843 / 799	00	17	90
		844 / 799	00	25	55
		खसरा नं. 843 / 799 और 800 के बीच में (सरकारी मेटल रोड)	00	01	54
		खसरा नं. 800 में (सरकारी मेटल रोड)	00	01	34
		797	00	10	69
		790	00	29	23
		836 / 789	00	46	41
		खसरा नं. 836 / 789 में (सरकारी मेटल रोड)	00	01	21
14	पीरावास	170	00	61	67
		171	00	39	67
		खसरा नं. 171 में (सरकारी मेटल रोड)	00	01	00
		368 / 173	00	38	14
		177	01	22	02
		180	00	67	77
15	खेमोणी मुढो की ढाणी	836 / 194	00	26	09
		खसरा नं. 194 और 190 के बीच में (सरकारी अस्फालटेड रोड)	00	02	91
		190	00	25	85
		191	00	46	60
		801 / 189	00	03	08
		802 / 189	00	38	49
		204	00	35	24
		205	00	80	49
		211	00	96	34
		206	00	57	77
16	राजिया नाडी	213	00	72	35
		828 / 271	00	73	38

[फा. सं. आर-11025 / 1 / 2019-ओ.आर-I / ई-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

S.O. 3498(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 83 (E) Dated 02 January 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 06 January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Crude Oil (Mangala Crude Oil Pipeline) from Barmer to Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 26th February 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : BAITU

DISTRICT: BARMER

STATE: RAJASTHAN

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
1	JOGASAR KUVA	490/359	00	97	19
		488/359	00	02	92
		612/359	00	06	60
		489/359	00	18	39
		503/356	00	01	44
		337	00	26	06
		338	00	05	02
		421/336	00	35	19
		422/336	00	00	97
		332	00	03	33
		420/114	00	18	86
		115	00	25	37
		679/115	00	07	88
		574/116	00	21	91
		121	00	05	01
		570/138	00	11	17
		576/329	00	39	18
		438/150	00	09	36
		437/150	00	44	25

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		416/327	00	40	76
		415/327	00	46	64
		483/324	00	19	79
		500/323	00	01	15
2	BANDATALAR	543/365	00	34	95
		499/366	00	24	60
		500/366	00	92	66
		478/374	00	04	65
		507/374	00	15	73
		575/291	00	01	85
		521/291	00	02	11
		584/291	00	68	98
		501/290	00	00	40
		471/289	00	04	36
		472/289	00	41	92
		597/289	00	41	92
		554/288	00	38	96
		566/287	00	20	70
		582/287	00	27	14
		564/286	00	48	89
		616/284	00	13	66
		618/284	00	00	54
		615/284	00	31	72
3	CHHITAR KA PAAR	281	00	51	12
		486	00	02	95
		482	00	39	67
		489	00	63	11
		494	00	01	98
4	SAGROMONI SARNO KI DHANI	501	00	44	18
		566/503	00	31	67
		505	00	42	99
		681/505	00	40	17
		679/498	00	22	36
		684/498	00	11	90
		543 (G/L)	00	01	40
		609/553	00	20	41
		611/553	00	03	11
		610/553	00	08	50
		663/553	00	04	73
		614/554	00	00	50
		664/553	00	29	03
		560	00	42	43
		559	00	30	18
		685/561	00	28	23

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
5	LAPLA	434	00	63	14
		435	00	21	60
		786/432	00	02	30
		854/432	00	17	37
		705/436	00	40	82
		704/436	00	53	73
		506 (G/L)	00	02	49
		741/510	00	14	41
		740/510	00	27	22
		512	00	22	39
		519	00	35	85
		853/519	00	01	47
		746/530	00	58	95
		531	00	66	26
		745/518	00	27	07
		541/642	00	20	83
		752/540	00	33	87
		750/538	01	04	75
		751/538	00	00	40
		537	00	38	25
		In Bet.Khasra No. 537 & 750/538 (G/L -Metalled Road)	00	01	99
		402/641	00	10	08
		690/402	00	10	28
		691/402	00	34	53
		402/640	00	68	85
		834/401	00	12	23
		833/401	00	44	23
		398	00	69	40
		394	00	46	63
		396	00	33	74
		686/379	00	39	63
6	DERAMANIYO KI DHANI	418	00	12	89
		554/419	00	33	94
		555/419	00	31	70
		620/419	00	22	08
		412 (G/L)	00	03	32
7	KAKDO VA BANONIYO MUDHO KI DHANI	108	00	22	26
8	MAHINGANI MUDHO KI DHANI	114	01	60	14
		112	00	00	40
		488/120	00	20	89
		486/120 (G/L)	00	00	40

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		121	00	06	90
		125 (G/L)	00	05	86
		138	00	27	80
		122	00	00	40
		133	00	59	49
		420/131	00	12	00
		In Khasra No. 420/131 (G/L - Metalled Road)	00	02	75
		421/131	00	28	75
		423/131	00	43	08
		419/130	00	50	13
		130	00	14	78
		447/158	00	23	19
		446/158	00	02	42
		454/158	00	14	47
		452/158	00	13	18
		451/158	00	16	87
		449/158	00	29	20
		481/389	00	14	75
		480/389	00	10	91
		482/389	00	38	79
		387	00	43	77
9	MITHIYATALA	842/383	00	37	33
		In Khasra No. 846/383 (G/L - Metalled Road)	00	01	81
		846/383	01	06	01
		843/383	00	63	25
		845/383	00	19	53
		331	00	50	40
		In Khasra No. 331 (G/L - Metalled Road)	00	03	11
		821/340	01	36	34
		In Khasra No. 821/340 (G/L - Metalled Road)	00	06	31
		824/347	01	26	66
		In Khasra No. 824/347 (G/L - Metalled Road)	00	04	93
		826/348	00	67	34
		350	00	06	18
10	SANVALSAR	661/494	00	27	74
		705/494	00	21	95
		663/494	00	42	21
		657/474	00	03	57
		627/422	00	34	68
		629/422	00	03	14
		628/422	00	31	39
		626/422	00	05	32
		643/445	00	09	48
		423	00	53	24
		711/425	00	20	70

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		713/425	00	16	44
		712/425	00	33	13
		438	00	35	63
		638/437	00	23	69
		716/433	00	00	60
		637/437	00	47	41
		692/379	00	02	09
		602/358	00	03	62
		603/358	00	10	11
		601/358	00	02	99
		609/360	00	05	90
		610/360	00	03	09
		608/360	00	31	04
11	BAITU CHIMANJI	873/361	00	13	82
		874/361	00	14	82
		362	00	43	39
		In Bet.Khasra No.362 & 568 (G/L - Road)	00	01	28
		568	00	51	95
		560	00	01	60
		559	00	44	96
		573	00	28	90
		990/549	00	00	40
		991/549	00	13	37
		992/549	00	17	23
		987/549	00	06	33
		986/548	00	17	70
		985/548	00	13	13
		1061/547	00	35	15
		1060/547	00	10	51
		1062/547	00	25	75
		545	00	16	27
		544	00	01	45
		In Bet. Khasra No.544 & 839 (G/L -Asp.Road)	00	03	30
		1029/839	00	43	28
		831	01	03	57
		1208/831	00	06	84
		818	00	85	67
		817	00	26	83
		1171/816	00	56	32
12	DERAMONI POTALIYO KI DHANI	764	00	34	63
		In Khasra No. 765 (G/L - Metalled Road)	00	01	76
		765	00	19	60
		766	00	54	20
		In Bet. Khasra No. 766 & V.B (G/L - Metalled Road)	00	01	96

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
13	PADMONI GODARO KI DHANI	815/737	00	07	41
		854/804	00	37	74
		In Bet. Khasra No. 854/804 & 800 (G/L - Metalled Road)	00	01	38
		800	00	55	03
		843/799	00	17	90
		844/799	00	25	55
		In Bet. Khasra No. 843/799 & 800 (G/L - Metalled Road)	00	01	54
		In Khasra No. 800 (G/L - Metalled Road)	00	01	34
		797	00	10	69
		790	00	29	23
		836/789	00	46	41
		In Khasra No. 836/789 (G/L - Metalled Road)	00	01	21
14	PIRAWAS	170	00	61	67
		171	00	39	67
		In Khasra No. 171 (G/L -Metalled Road)	00	01	00
		368/173	00	38	14
		177	01	22	02
		180	00	67	77
15	KHEMONI MUDHO KI DHANI	836/194	00	26	09
		In Bet. Khasra No. 194 & 190 (G/L - Asp.Road)	00	02	91
		190	00	25	85
		191	00	46	60
		801/189	00	03	08
		802/189	00	38	49
		204	00	35	24
		205	00	80	49
		211	00	96	34
		206	00	57	77
16	ROJIYA NADI	213	00	72	35
		828/271	00	73	38

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3499(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1647 (अ) तारीख 21 मई 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 26 मई 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मंगला कूड आइल पाइपलाइन परियोजनान्तर्गत बाडमेर से पचपदरा (राजस्थान) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01 जुलाई 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : बायतु

जिला : बाड़मेर

राज्य : राजस्थान

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	बायतु चिमनजी	1058 / 547	00	15	23
2	खेमोणी मुढो की ढाणी	837 / 194	00	20	03
तहसील : पचपदरा			जिला : बाड़मेर		
1	नीम्बली	481 / 278	00	01	50

[फा. सं. आर-11025 / 1 / 2019-ओ.आर-I/ई-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

S.O. 3499(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 1647 (E) Dated 21st May 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 26th May 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Crude Oil (Mangala Crude Oil Pipeline) from Barmer to Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 1st July 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL: BAITU

DISTRICT: BARMER

SATATE: RAJASTHAN

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
1	BAITU CHIMANJI	1058/547	00	15	23
2	KHEMONI MUDHO KI DHANI	837/194	00	20	03
TEHSIL :PACHPADRA			DISTRICT : BARMER		
1	NIMBLI	481/278	00	01	50

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3500(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1649 (अ) तारीख 21 मई 2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 26 मई 2020 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में नाचना से पचपदरा रिफाइनरी तक (IG Canal to Nachana Raw Water Reservoir Chamber Section) पानी के परिवहन के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 11 आगस्त 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

क्रम सं.	गाँव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
तहसील : नाचना-2		जिला : जैसलमेर	राज्य : राजस्थान		
1	नाचना बारानी	4079	00	41	88
		4220 / 4445	00	12	50
		4208	00	18	18
		4259	00	09	64
		ख.नं. 4259 और 4206 के बीच में	00	66	05
		4206	00	13	09
		4209	00	07	85
		4210	00	12	48
		4062	00	72	67
		4081 / 4433	00	04	00
		4264 / 4450	00	02	70

[फा. सं. आर-11025 / 1 / 2019-ओ.आर-I / ई-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

S.O. 3500(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 1649 (E) Dated 21st May 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 26th May 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Water from Nachana to Pachpadra Refinery, **(IG Canal to Nachana Raw Water Reservoir Chamber Section)**, a pipeline should be laid in State of Rajasthan, a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited .

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 11th August 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TEHSIL : NACHANA-2		DISTRICT: JAISALMER		SATATE: RAJASTHAN	
1	NACHANA	4079	00	41	88
	BARANI	4220/4445	00	12	50
		4208	00	18	18
		4259	00	09	64
		In Bet Khasra No. 4259 & 4206	00	66	05
		4206	00	13	09
		4209	00	07	85
		4210	00	12	48
		4062	00	72	67
		4081/4433	00	04	00
		4264/4450	00	02	70

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3501(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 82 (अ) तारीख 02 जनवरी 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मंगला कूड आइल पाइपलाईन परियोजनान्तर्गत बाडेमर से पचपदरा (राजस्थान) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 08 फरवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
तहसील: बाड़मेर			जिला : बाड़मेर		राज्य : राजस्थान
1	नागाणा	518 / 321	00	04	65
		486 / 302	00	01	39
		426 / 302	00	01	58
		526 / 321	00	55	80
		303	01	19	54
		296	00	28	55
		297	00	78	61
		585 / 301	00	67	18
		633 / 301			
		634 / 301			
		586 / 301	00	37	96
		389 / 324	00	86	90
		390 / 326	00	05	12
		386 / 322	00	34	41
		401 / 338	00	00	40
		402 / 338	00	67	56
		549 / 339	00	01	41
		469 / 355	00	35	44
		477 / 355	00	03	52
		478 / 355	00	45	32
		416 / 354	00	35	24
		412 / 353	01	10	34
		574 / 344	00	02	26
		413 / 353 (सरकारी)	00	17	00
		414 / 353	00	00	40
		406 / 344	00	39	43
		405 / 344	00	48	89
		481 / 344	00	04	85
		489 / 345	00	00	50
		410 / 345	00	44	92
		347	00	00	40
2	सरकापार	1029 / 348	00	01	28
		1030 / 348	00	71	23
3	कारु का खेडा	444 / 105	00	32	21
		445 / 105	00	06	93
		764 / 129	00	14	58
		818 / 106	00	44	83
		817 / 106	00	04	09

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		126	00	00	90
		125	00	51	30
		472 / 135	00	00	50
		474 / 135	00	27	54
		820 / 123	00	40	89
		821 / 123	00	40	97
		खसरा नं. 822 / 123 में (सरकारी रास्ता)	00	01	73
		822 / 123	00	15	34
		823 / 123	00	39	72
		630 / 136	00	34	93
		781 / 122	00	65	04
		780 / 122	00	16	07
		465 / 121	00	32	48
		464 / 121	00	41	36

[फा. सं. आर-11025 / 1 / 2019-ओ.आर-I/ई-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

S.O. 3501(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 82 (E) Dated 02 January 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 06 January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Crude Oil (Mangala Crude Oil Pipeline) from Barmer to Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 08th February 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
TEHSIL : BARMER		DISTRICT: BARMER	SATATE: RAJASTHAN		
1	NAGANA	518/321	00	04	65
		486/302	00	01	39
		426/302	00	01	58
		526/321	00	55	80
		303	01	19	54
		296	00	28	55
		297	00	78	61
		585/301	00	67	18
		633/301			
		634/301			
		586/301	00	37	96
		389/324	00	86	90
		390/326	00	05	12
		386/322	00	34	41
		401/338	00	00	40
		402/338	00	67	56
		549/339	00	01	41
		469/355	00	35	44
		477/355	00	03	52
		478/355	00	45	32
		416/354	00	35	24
		412/353	01	10	34
		574/344	00	02	26
		413/353 (G/L)	00	17	00
		414/353	00	00	40
		406/344	00	39	43
		405/344	00	48	89
		481/344	00	04	85
		489/345	00	00	50
		410/345	00	44	92
		347	00	00	40
2	SAR KA PAR	1029/348	00	01	28
		1030/348	00	71	23
3	KAVU KA KHEDA	444/105	00	32	21
		445/105	00	06	93
		764/129	00	14	58
		818/106	00	44	83
		817/106	00	04	09

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		126	00	00	90
		125	00	51	30
		472/135	00	00	50
		474/135	00	27	54
		820/123	00	40	89
		821/123	00	40	97
		In Khasra No. 822/123 (G/L - Road)	00	01	73
		822/123	00	15	34
		823/123	00	39	72
		630/136	00	34	93
		781/122	00	65	04
		780/122	00	16	07
		465/121	00	32	48
		464/121	00	41	36

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3502(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 84 (अ) तारीख 02 जनवरी 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 06 जनवरी 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मंगला कूड आइल पाइपलाइन परियोजनान्तर्गत बाडमेर से पचपदरा (राजस्थान) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 24 फरवरी 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : पचपदरा

जिला : बाड़मेर

राज्य : राजस्थान

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	खट्टु	632 / 330	00	24	28
		633 / 330	00	13	76
		635 / 332	00	67	56
		339	00	62	55
		1097 / 337	00	25	09
		337	00	22	66
		348	00	32	37
		347	00	58	63
		641 / 361	00	20	67
		346	00	29	86
		628 / 308	00	03	09
		1082 / 301	00	16	18
		301	00	17	84
		1086 / 301	00	02	41
		302	00	11	25
		800 / 300	00	18	66
		298	00	16	39
		1135 / 297	00	13	97
		834 / 297	00	19	11
		805 / 297	00	01	05
		1052 / 271	00	14	25
		1051 / 271	00	02	43
		793 / 271	00	44	65
		792 / 271	00	44	65
		293	00	13	51
		290	00	53	12
		283	00	36	33
		284	00	09	73
		1039 / 280	00	49	04
		623 / 280	00	02	60
		1133 / 280	00	01	62
		650 / 391	00	01	59
		414 / 529	00	09	91
		809 / 417	00	28	57
		828 / 415	00	59	79
		438	00	43	80
		786 / 438	00	47	25
		912 / 461	00	05	37

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		463	00	27	63
		776 / 464	00	30	75
		877 / 464	00	02	43
		778 / 464	00	08	93
		779 / 464	00	33	54
		465	00	39	52
		468	00	04	79
		469	00	45	43
		501	00	87	96
		502	00	14	59
		952 / 502	00	02	43
		953 / 502	00	24	35
		1019 / 509	00	60	46
		1022 / 509	00	52	35
		1018 / 509	00	07	22
		1020 / 509	00	10	24
		526	00	32	88
2	बडला	90	01	04	73
		159 / 80	00	49	15
		89	00	73	47
		150 / 81	00	43	34
		151 / 81	00	51	17
		149 / 81	00	68	40
		85	00	27	23
		173 / 82	00	19	57
		172 / 82	00	29	32
		खसरा नं. 172 / 82 और 171 / 12 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	02	71
		171 / 12	00	41	26
		117 / 13	00	50	64
		179 / 17	00	08	40
		217 / 17	00	05	67
		17	00	02	59
		180 / 17	00	62	97
3	दूधवा मलीनाथ	15	00	30	25
		45	01	00	10
		408 / 47	00	42	28
		407 / 47	00	54	52
4	नीम्बली	348 / 58	00	66	36
		350 / 58	00	67	17
		355 / 65	00	14	48

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		417 / 62	00	52	80
		352 / 61	00	17	40
		59	00	01	80
		262	00	02	39
		379 / 264	00	03	65
		386 / 267	00	01	00
		384 / 266	00	57	16
		383 / 266	00	77	77
		380 / 264	00	42	44
		421 / 280	00	07	28
		422 / 280	00	04	86
		281	00	71	58
		410 / 343	00	59	82
		409 / 343	00	85	34
		447 / 343	00	15	37
		445 / 343	00	08	90
		448 / 278	00	72	99
		389 / 278	00	56	11
		479 / 286	00	33	90
		478 / 286	00	29	68
		471 / 286	00	25	90
		472 / 286	00	06	66
		470 / 286	00	12	14
		449 / 286	00	01	81
5	बागुण्डी	242 / 34	00	16	18
		217 / 32	00	55	84
		511 / 31	00	30	37
		31	00	02	42
		516 / 31	00	02	42
		517 / 31	00	29	13
		518 / 31	00	25	09
		519 / 31	00	07	28
		28	00	66	36
		211 / 25	00	47	75
		24	00	62	32
		18	01	18	16
		17	00	04	72
		15	00	32	09
		202 / 14	00	52	07
		203 / 14	00	01	94

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		204 / 14	00	14	21
		196 / 9	00	02	35
		188 / 6	00	35	97
		323 / 106	00	01	45
		116	00	04	69
		349 / 119	00	33	21
		363 / 126	00	94	36
		368 / 129	00	39	65
		370 / 129	00	43	70
		467 / 130	00	15	85
		372 / 130	00	27	06
		132	00	25	07
6	गूगरी	196 / 97	03	19	70
		98	01	59	44
		94	00	30	75
7	आकडली धनसिंह	374 / 306	00	80	93
8	आकडली बक्सीराम	115 / 79	00	38	84
		116 / 79	00	36	42
		131 / 79	00	40	80
		121 / 79	00	44	51
		223 / 79	00	31	18
		80	00	03	03
		215 / 82	00	33	18
		132 / 81	00	35	44
		86	00	53	06
		85	00	52	74
		84	00	65	55
		267 / 68	00	00	80
		266 / 68	00	24	94
		43	00	01	54
		61	00	02	30
		45	00	92	26
		172 / 49	00	11	44
		180 / 49	00	32	37
		304 / 34	00	33	99
		306 / 57	00	00	80

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
		305 / 57	00	28	32
		105 / 58	00	93	75
9	सांभरा	149 / 6	00	05	23
		4	00	15	03
		151 / 6	00	22	17
		152 / 6	00	00	40
		17	00	23	04
		16	00	43	82
		28	00	42	07
		288 / 27	01	81	45
		291 / 29	04	93	64

[फा. सं. आर-11025 / 1 / 2019-ओ.आर-I / ई-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

S.O. 3502(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 84 (E) Dated 02 January 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 06 January 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Crude Oil (Mangala Crude Oil Pipeline) from Barmer to Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 24th February 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan), free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan), shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : PACHPADRA

DISTRICT: BARMER

SATATE: RAJASTHAN

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
1	KHATTU	632/330	00	24	28
		633/330	00	13	76
		635/332	00	67	56
		339	00	62	55
		1097/337	00	25	09
		337	00	22	66
		348	00	32	37
		347	00	58	63
		641/361	00	20	67
		346	00	29	86
		628/308	00	03	09
		1082/301	00	16	18
		301	00	17	84
		1086/301	00	02	41
		302	00	11	25
		800/300	00	18	66
		298	00	16	39
		1135/297	00	13	97
		834/297	00	19	11
		805/297	00	01	05
		1052/271	00	14	25
		1051/271	00	02	43
		793/271	00	44	65
		792/271	00	44	65
		293	00	13	51
		290	00	53	12
		283	00	36	33
		284	00	09	73
		1039/280	00	49	04
		623/280	00	02	60
		1133/280	00	01	62
		650/391	00	01	59
		414/529	00	09	91
		809/417	00	28	57
		828/415	00	59	79
		438	00	43	80
		786/438	00	47	25
		912/461	00	05	37
		463	00	27	63
		776/464	00	30	75

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		877/464	00	02	43
		778/464	00	08	93
		779/464	00	33	54
		465	00	39	52
		468	00	04	79
		469	00	45	43
		501	00	87	96
		502	00	14	59
		952/502	00	02	43
		953/502	00	24	35
		1019/509	00	60	46
		1022/509	00	52	35
		1018/509	00	07	22
		1020/509	00	10	24
		526	00	32	88
2	BADLA	90	01	04	73
		159/80	00	49	15
		89	00	73	47
		150/81	00	43	34
		151/81	00	51	17
		149/81	00	68	40
		85	00	27	23
		173/82	00	19	57
		172/82	00	29	32
		In Bet. Khasra No. 172/82 & 171/12 (G/L - Road)	00	02	71
		171/12	00	41	26
		117/13	00	50	64
		179/17	00	08	40
		217/17	00	05	67
		17	00	02	59
		180/17	00	62	97
3	DUDHVA MALINATH	15	00	30	25
		45	01	00	10
		408/47	00	42	28
		407/47	00	54	52
4	NIMBLI	348/58	00	66	36
		350/58	00	67	17
		355/65	00	14	48
		417/62	00	52	80
		352/61	00	17	40
		59	00	01	80
		262	00	02	39

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		379/264	00	03	65
		386/267	00	01	00
		384/266	00	57	16
		383/266	00	77	77
		380/264	00	42	44
		421/280	00	07	28
		422/280	00	04	86
		281	00	71	58
		410/343	00	59	82
		409/343	00	85	34
		447/343	00	15	37
		445/343	00	08	90
		448/278	00	72	99
		389/278	00	56	11
		479/286	00	33	90
		478/286	00	29	68
		471/286	00	25	90
		472/286	00	06	66
		470/286	00	12	14
		449/286	00	01	81
5	BAGUNDI	242/34	00	16	18
		217/32	00	55	84
		511/31	00	30	37
		31	00	02	42
		516/31	00	02	42
		517/31	00	29	13
		518/31	00	25	09
		519/31	00	07	28
		28	00	66	36
		211/25	00	47	75
		24	00	62	32
		18	01	18	16
		17	00	04	72
		15	00	32	09
		202/14	00	52	07
		203/14	00	01	94
		204/14	00	14	21
		196/9	00	02	35
		188/6	00	35	97
		323/106	00	01	45
		116	00	04	69
		349/119	00	33	21
		363/126	00	94	36
		368/129	00	39	65

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
		370/129	00	43	70
		467/130	00	15	85
		372/130	00	27	06
		132	00	25	07
6	GUGARI	196/97	03	19	70
		98	01	59	44
		94	00	30	75
7	AAKADLI DHANSINH	374/306	00	80	93
8	AAKADLI BAKSIRAM	115/79	00	38	84
		116/79	00	36	42
		131/79	00	40	80
		121/79	00	44	51
		223/79	00	31	18
		80	00	03	03
		215/82	00	33	18
		132/81	00	35	44
		86	00	53	06
		85	00	52	74
		84	00	65	55
		267/68	00	00	80
		266/68	00	24	94
		43	00	01	54
		61	00	02	30
		45	00	92	26
		172/49	00	11	44
		180/49	00	32	37
		304/34	00	33	99
		306/57	00	00	80
		305/57	00	28	32
		105/58	00	93	75
9	SAMBHARA	149/6	00	05	23
		4	00	15	03
		151/6	00	22	17
		152/6	00	00	40
		17	00	23	04
		16	00	43	82
		28	00	42	07
		288/27	01	81	45
		291/29	04	93	64

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3503(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1676 (अ) तारीख 21 मई 2020, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 28 मई 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मंगला कूड आइल पाइपलाइन परियोजनान्तर्गत बाडमेर से पचपदरा (राजस्थान) तक कच्चा तेल परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 01 जुलाई 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (राजस्थान) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : गिडा

जिला : बाडमेर

राज्य : राजस्थान

क्रम सं.	गाव का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	झालामलिया	131	00	73	92

[फा. सं. आर-11025/1/2019-ओ.आर-I/ई-31849]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

S.O. 3503(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 1676 (E) Dated 21st May 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 28th May 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Rajasthan for transportation of Crude Oil (Mangala Crude Oil Pipeline) from Barmer to Pachpadra (Rajasthan), a Pipeline should be laid by HPCL Rajasthan Refinery Limited (Rajasthan).

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 1st July 2020.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) free from all encumbrances.

HPCL Rajasthan Refinery Limited, (Rajasthan) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL: GIDA

DISTRICT: BARMER

SATATE: RAJASTHAN

Sr. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hect	Are	Sq. Mt.
1	2	3	4	5	6
1	ZALAMALIYA	131	00	73	92

[F. No. R-11025/1/2019-OR-I/E-31849]

P. SOMA KUMAR, Under Secy.